–::आदेश::–

वाके ग्राम कुवानिया, प.ह. कुवानिया, तह.घाटोल, जिला बांसवाडा में स्थित जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता सं. 194 नई 266 पुरानी खसरा सं. 814 क्षेत्रफल 0.35 हैक्ट. व खसरा सं. 815 क्षेत्रफल 0.33 हैक्ट. है जो कि उक्त भूमि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के खातेदारी की कृषि भूमि पर वादी काबिज होकर उपरोक्त कृषि भूमि में काश्त कर रहा है एवं राज्य सरकार में लगान अदा कर रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 अधिकार अभिलेख में वादी का नाम बहैसियत खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी आधिपत्य नही रहा है और न ही कोई हक हकुक व अधिकार है। इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगण 1 से 10 को पाबंद किया जाता है कि वह वादी के खातेदारी की भुमि मे प्रवेश न करें न ही कृषि कार्य में बाधा पहुचाये और न ही अपने प्रतिनिधि द्वारा ऐसा कोई कार्य करावे जिससे वादी के हितो में दखल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उक्तानुसार डिगरी पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनसुख राम डामोर (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
घाटोल

उपखण्ड अधिकारी
घाटोल

Scanned with OKEN Scanner